

कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/...190.....

शहडोल, दिनांक.12/..11./2022

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मे कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला -बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

कं.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	प्रवीण सिंह सिकरवार	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	स्नेहलता चौंग	गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय गवालियर म.प्र.
2	पूजा पटेल	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	प्रियंका मिश्रा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
3	गौरव श्रीवास्तव	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	सावित्री छिवेदी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
4	करुणा	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	सुषमा चीचक	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
5	प्रिया मिश्रा	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	ललवी गुप्ता	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर म.प्र.
6	मानवती प्रजापति	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	रानू पाटिल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय शीवा म.प्र.

- पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
- नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
- उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
- उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मात्र्य होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

M.Selvi
(डॉ. मिलिबद शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मे कार्यरत् नर्सिंग ऑफिसर से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला -बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्रं.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापन स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापन स्थल (आने वाले)
1	प्रवीण सिंह सिकरवार	बिरसा मुण्डा शा०च०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	स्नेहलता चौग	गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर म.प्र.
2	पूजा पटेल	बिरसा मुण्डा शा०च०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	प्रियंका मिश्रा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
3	गौरव श्रीवास्तव	बिरसा मुण्डा शा०च०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	सावित्री द्विवेदी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
4	करुणा	बिरसा मुण्डा शा०च०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	सुषमा चीचक	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
5	प्रिया मिश्रा	बिरसा मुण्डा शा०च०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	ललवी गुप्ता	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर म.प्र.
6	मानवती प्रजापति	बिरसा मुण्डा शा०च०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	रानू पाटिल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा म.प्र.

- पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
- नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
- उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
- उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।


॥
(डॉ. मिलिंद शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/198-200

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा, ग्वालियर, रतलाम, इन्डौर की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

शहडोल, दिनांक 17/11/2022


(डॉ. मिलिंद शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....195.....

शहडोल, दिनांक.12/11/2022

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मे कार्यरत् कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला -बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्रं.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	श्वेता गिरी	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	मृगेन्द्र त्रिपाठी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
2	त्रिलोक सिंह कुशवाहा	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	अमित रावत	गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर म.प्र
3	विधिन श्रीधर	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	जवाहर लाल तिवारी	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा म.प्र.
4	बापु सिंह मोरी	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	आकाश बैगा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
5	प्रकाश खोडे	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	ब्रजेश कुमार पटेल	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
6	विरेन्द्र चौहान	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	सरोजवती बैगा	बंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा म.प्र.

- पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
- नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
- उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
- उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मात्र्य होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. मिलिबद्ध शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मे कार्यरत कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला -बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्रं.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	श्रेता गिरी	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	मृगेन्द्र त्रिपाठी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
2	त्रिलोक सिंह कुशवाहा	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	अमित रावत	गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर म.प्र
3	विपिन श्रीधर	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	जवाहर लाल तिवारी	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा म.प्र.
4	बापु सिंह मोरी	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	आकाश बैगा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
5	प्रकाश खोडे	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	ब्रजेश कुमार पटेल	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रतलाम म.प्र.
6	विरेन्द्र चौहान	बिरसा मुण्डा शा०चि०महावि० एवं चि० शहडोल म.प्र.	सरोजवती बैगा	नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा म.प्र.

- पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
- नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
- उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
- उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

//

(डॉ. मिलिब शिरालकर)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/195-197

शहडोल, दिनांक 12/11/2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय,,गवालियर,रत्लाम,खण्डवा,विदिशा की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित की ओर वार्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)